

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Madam, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Shripad Yesso Naik, I rise to lay on the Table a copy of the Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-State Transmission Charges) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.414(E) in Gazette of India dated 26th June, 2025 under Section 179 of the Electricity, Act 2003. ? (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 3052/18/25]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): आदरणीय सभापति महोदया, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अजय टम्टा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025, जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2015(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) का.आ. 2489(अ) जो दिनांक 5 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3053/18/25]

- (2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.437(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 18 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में

[Placed in Library, See No. LT 3054/18/25]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1348(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548 डीजी के डिजाइन किमी. 00.000 से किमी. 24.037 तक न्हावारा-चौफुला सेक्शन के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ.1349(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-150ए के डिजाइन किमी. 112.750 से किमी. 148.720 तक लिंगासुगुर-मुदबल और मास्की शहर सीमा खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ.1365(अ) जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-216 (पुराना एनएच-214) के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 46.725 (मौजूदा किमी. 000.000 से किमी. 41.161) तक काठीपुडी से गुरजनापल्ली (काकीनाडा बाईपास के अंत) के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ.1491(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-24) के किमी. 262.000 से किमी. 419.590 (मौजूदा किमी. 262.000 से किमी. 413.200) तक बरेली-सीतापुर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ.1492(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-41 के किमी. 0.000 से किमी. 71.400 तक गांधीधाम (कांडला) से मुंद्रा पोर्ट खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (छह) का.आ.1493(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में पुराने एनएच-58 (नया एनएच-334 और एनएच-34) खंड के किमी. 166.000 से किमी. 209.120 तक चार लेन की मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का.आ.1494(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पुराने एनएच-58 (नया एनएच-334) खंड के किमी. 130.560 से किमी. 166.000 तक चार लेन की मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (आठ) का.आ.1495(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-200) के किमी. 0.000 से किमी. 48.580 तक रायपुर से सिमगा खंड की चार लेन की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का.आ.1496(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के किमी. 634.000 से किमी. 700.544 तक रणस्थलम से हनुमंतवाका, विशाखापत्तनम खंड परियोजना (इनविट) (कुल परियोजना लंबाई 66.544 किमी.) के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3055/18/25]

- (दस) का.आ.1497(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-04 के किमी. 134.980 से किमी. 219.687 (कुल परियोजना लंबाई 84.797) तक तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा - नलगामपल्ली ? आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (ग्यारह) का.आ.1498(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के डिजाइन किमी. 682.980 से डिजाइन किमी. 731.585 तक छह लेन की आनंदपुरम-पेंडुर्थी-अंकापल्ली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का.आ.1499(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के किमी. 580.671 से किमी. 634.861 तक छह लेन की नरसन्नापेटा-रणस्थलम खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का.आ.1500(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-200 (नया एनएच-130 और 49) के किमी. 48.580 से किमी. 126.525 तक चार लेन की सिमगा बिलासपुर खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का.आ.1501(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के डिजाइन किमी. 15.320 से डिजाइन किमी. 85.204 तक चार लेन की गुंडुगोलानु-देवरापल्ली-कोव्वुरु परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ.1502(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 140 के किमी. 0.000 से किमी. 61.128 तक (कुल परियोजना लंबाई 61.128 किमी.) चित्तूर-मल्लावरम खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सोलह) का.आ.1621(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 60.630 से किमी. 99.660 तक सिल्लोड-फरदापुर खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.1622(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 99.660 से किमी. 147.380 तक फरदापुर-जलगांव खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3056/18/25]

(अठारह) का.आ.1647(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में एनएच-3 (पुराना एनएच-1) के किमी. 387.100 से किमी. 456.00 तक जालंधर से अमृतसर खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ.1677(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-218 (नया एनएच-52) के डिजाइन किमी. 153.000 से किमी. 193.350 तक बीजापुर-हुबली खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ.1678(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-157 के डिजाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 86.330 तक और किमी. 86.615 से किमी. 119.000 तक चारिछक-भंजनगर खंड के पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.1679(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 0.000 से किमी. 21.000, किमी. 26.300 से 47.500 और किमी. 47.500 से 54.500 तक औरंगाबाद-सिलोद खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ.1680(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752ई के किमी.0.000 से किमी. 55.937 तक पैठण-शिरूर खंड डिजाइन चेनेज

के पेव्ड सोल्डर खंड वाले दो लेन के उपयोग की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ.1681(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-927ए के डिजाइन किमी. 208.550 से डिजाइन किमी. 256.700 (मौजूदा किमी. 207.700 से मौजूदा किमी. 275.000) तक सागवाड़ा-गढ़ी-परतापुर-वजवाना-तलवाड़ा-बांसवाड़ा खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ.1888(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-50 के किमी. 0.000 से किमी. 65.952 तक डिजाइन चेनेज से नांदेड़ से जलकोट खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3057/18/25]

(पच्चीस) का.आ.1889(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161ए के किमी. 0.000 से किमी. 33.000 तक डिजाइन चेनेज से भोकर से सरसम खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.1996(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कटरा-पीलीभीत खंड के किमी. 114.000 से किमी. 183.380 तक (एनएच-730सी, एनएच-730बी और एनएच-731के पर 114.000 किमी. दूरी से शुरू होकर किमी. 183.380 पर समाप्त) पेव्ड सोल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.1997(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-751 के डिजाइन किमी. 136.000 से किमी. 169.308 (मौजूदा किमी. 136.025 से किमी. 169.328) तक अधेलाई गांव से नारी जंक्शन खंड की चार या

उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.2004(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752डी के डिजाइन चैनेज 26.900 से चैनेज 96.000 तक उज्जैन-बदनावर खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए एचएएम मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ.2005(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-88 (नया एनएच-303, 503) के डिजाइन किमी. 175.270 से किमी. 193.400 तक, भांगबार (रानीताल के पास) से कांगड़ा बाईपास तक चार या उसके अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ.2053(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-200) के डिजाइन चैनेज किमी. 269.300 से किमी. 325.900 (मौजूदा चैनेज किमी. 269.300 से किमी. 328.200 तक) तक झारसुगुड़ा-भोजपुर खंड के पेव्ड सोल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3058/18/25]

(इकतीस) का.आ. 2054(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 तक के डिजाइन किमी. 202.050 से किमी. 244.813 तक (वर्तमान किमी. 202.050 से किमी. 244.930 तक) (लंबाई 42.763 किमी.) मुलाकालाचेरुवु से मदनपल्ले खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2134(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-548बी के विजयपुरा-संकेश्वर खंड के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 79.700 तक पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की

परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2135(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई-8 के किमी. 0.000 से किमी. 84.709 (सरदार पटेल रिंग रोड से अधेलाई गांव तक) खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ.2147(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-341 के भीमासर जंक्शन से अंजार-भुज तक एयरपोर्ट जंक्शन, किमी. 0.000 से किमी. 65.478 (किमी. 54.680 से किमी. 60.620 के बीच के भाग को छोड़कर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-341 एनएच-41 के भीमासर जंक्शन से अंजार-भुज एयरपोर्ट जंक्शन तक के चार या अधिक लेन खंड वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ.2236(अ) जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 के किमी. 0.000 से किमी. 228.748 (0.00 किमी. से शुरू होकर चैम्बर 228.748 पर शुल्क प्लाजा पर समाप्त) (लंबाई 228.748 किमी.) तक के खंड के उपयोग हेतु परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ.2213(अ) जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा (एनएच-130सीडी) के तहत झांकी, सरगी, बसनवाही, मारंग सीपुरी, धनारा, हातिबेना, बदाकुमारी, कार्की, कलियागुरा, बाउंसागुआर, बाराजा, कंदिली, अलुरु, जक्कुवा, कोरलम कांतकापल्ले और सब्बावरम से गुजरने वाली झांकी से सब्बावरम (चैनल 0.000 से चैनल 464.662 तक) की छह लेन की

परियोजना के लिए एचएएम मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3059/18/25]

- (सैंतीस) का.आ.2363(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में एनएच-166एस के चैनेज किमी. 0.00 से किमी. 6.58 तक, एनएच-66 से मोपा विमानपत्तन खंड तक लिंक रोड की चार लेन या उससे अधिक की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अड़तीस) का.आ.2364(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के किमी. 229.070 से 260.800 तक पेव्ड शोल्डर सहित हरदोई जिले के अंत से लखनऊ तक 4-लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनतालीस) का.आ.2366(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-752आई के किमी. 0.000 से किमी. 48.000 तक जितूर से शिरद शाहपुर डिजाइन चैनेज तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चालीस) का.आ.2382(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161ए के किमी. 33.000 से किमी. 90.000 तक डिजाइन चैनेज तक सरसम से कोठारी खंड के पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इकतालीस) का.आ.2383(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना एनएच-17) के चैनेज किमी. 475.000 से किमी. 535.600 (किमी. 508.000 से किमी. 513.150 को छोड़कर) तक पतरादेवी से जुआरी ब्रिज पैकेज-3 खंड के चार लेन या उससे अधिक खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बयालीस) का.आ.2384(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752आई के किमी. 64.700 से किमी. 103.713 तक हिमायतनगर से फुलसावंगी डिजाइन चैनेज तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ.2490(अ) जो दिनांक 5 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतमाला परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 55.900 (मौजूदा किमी. 0.000 से किमी. 59.250) तक मदनपल्ले-पिलेरु खंड के चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3060/18/25]

(चवालीस) का.आ.2491(अ) जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 (के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 36.000 तक थिरुमंगलम-वडुगापट्टी खंड एनएच-208 के मौजूदा किमी. 231.600 से एनएच-208 के किमी. 197.000 तक) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 के डिजाइन किमी. 36.000 से किमी. 71.600 तक वडुगापट्टी-थेरकुवंगनल्लूर खंड (एनएच-208 के मौजूदा किमी. 197.000 से एनएच-208 के किमी. 163.000 तक) की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ.2559(अ) जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167बी के डिजाइन चैनेज किमी. 58.635 से 99.409 (मौजूदा किमी. 16.200 से 59.114) तक कडप्पा/नेल्लोर सीमा से सीएस पुरम खंड तक पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छियालीस) का.आ.2684(अ) जो दिनांक 16 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में गोविंदपुर-राजुरा खंड के

किमी. 32.910 से किमी. 89.011 तक चार या उससे अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ.2711 (अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के किमी. 482.000 से किमी. 554.800 (मौजूदा किमी. 476.700 से किमी. 545.150 तक) तक मुद्दनूर होते हुए तड़डीपत्री से जम्मालामदुगु तक चार या उससे अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ.2712(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनई-7 के बेंगलोर से बेथमंगला खंड के एनई-7 के 0.000 से किमी. 71.000 तक के चार या उससे अधिक लेन वाले खंड (आरंभ बिंदु पर राष्ट्रीय राजमार्ग -4 पर इंटरचेंज के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग -207 की ओर 0.700 किमी. पहुंच मार्ग सहित) की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनचास) का.आ.2850(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -25 एक्सटेंशन के किमी. 69.910 से किमी. 126.355 तक घागरिया-मुनाबाओ खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3061/18/25]

(पचास) का.आ.2851(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -709 एक्सटेंशन के राजगढ़ बाईपास (डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 5.400) और पिलानी बाईपास (डिजाइन किमी. 35.840 से किमी. 43.120) सहित किमी. 0.000 से किमी. 57.425 तक पेव्ड शोल्डर खंड के साथ दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ.2852(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 81 के डिजाइन किमी. 26.500 से किमी. 81.300 तक पल्लदम-कुरुकाठी खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बावन) का.आ.2869(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361एफ के किमी. 115.000 से किमी. 136.700 तक डिजाइन चैनेज से सिरसला से परली खंड के 2/4 लेन और किमी. 137.700 से किमी. 168.100 तक डिजाइन चैनेज से परली से गंगाखेड़ खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तिरपन) का.आ.2870(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352ए के डिजाइन किमी. 40.601 से किमी. 78.837 तक गोहाना से सोनीपत खंड के चार या अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौवन) का.आ.3022(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752आई के किमी. 0.000 से किमी. 64.700 तक अर्धपुर से हिमायतनगर डिजाइन चैनेज के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचपन) का.आ.3023(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में बनौंदी गांव के पास एनएच-72 (नए एनएच-344 और एनएच-7 का हिस्सा) के डिजाइन किमी.-0.800 से किमी. 33.015 तक अंबाला-कालाअंब खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छप्पन) का.आ.3024(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 544 के किमी. 144.680 से किमी. 183.010 तक नीलांबुर से वालयार खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3062/18/25]

- (सत्तावन) का.आ.3206(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361एफ के किमी. 0.000 से किमी. 36.900 तक डिजाइन चेनेज से खारवंडी से राजुरी खंड के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठावन) का.आ.3207(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 167एडी के किमी. 0.000 से किमी. 43.659 तक माचेरला से दाचेपल्ली खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनसठ) का.आ.3208(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-344जी पर डिजाइन किमी. 0.000 (गांव-मविकला के पास दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (चरण-I) के डिजाइन किमी. 31.650 से शुरू होकर) से डिजाइन किमी. 119.700 (गांव-लतीफपुर के पास सहारनपुर बाईपास पर विलय) तक के खंड के उपयोग की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (साठ) का.आ.3254(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 पर वडोदरा-मुंबई खंड के किमी. 936.141 से किमी. 1032.991 (936.141 किमी. से शुरू होकर चैनल 1032.991 पर शुल्क प्लाजा पर समाप्त) (लंबाई 96.850 किमी.) खंड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3063/18/25]

? (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3064/18/25]

- (3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, प्रधान सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा गार्ड (समूह ?क?, ?ख? एवं ?ग? पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3065/18/25]

? (व्यवधान)